



02577

नामांकन संख्या.....

अनुक्रमांक.....

कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर

अंकतालिका

1991

(बकितगत/भूतपूर्व/एक विषय/त्रिन्कोर्स/प्री.एम.ए./बैक-वेपर)

अनुक्रमांक तथा छात्रांकों के अतिरिक्त पूछे गए पर पते सहित शेष स्थानों की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें।
परीक्षा 1991 के छात्रांकों का विवरण

अध्ययी का नाम शक्तिश कुमार
पिता का नाम श्री महावीर प्रसाद वर्मा
परीक्षा केंद्र का नाम डी.एस.एम. कॉलेज, उन्नाव

विषयक्रम पर पराम्नातक विषय	छात्रांक						विषय प्रश्नपत्रों का योग	परीक्षाफल शब्दों में
	अधिकतम अंक	प्राप्त अंक	द्वितीय प्रश्नपत्र	तृतीय प्रश्नपत्र	योग	प्रारंभिक		
1. <u>इतिहास</u>							52	Third Div.
2. <u>भारत-महादेश का इतिहास</u>							31	
3. <u>भारत का इतिहास</u>							-	
4. <u>भारत का इतिहास</u>							58	
5. <u>भारत का इतिहास</u>							52	
6.								
7. मौखिक (Viva-Voce)							46	अधिकतम अंक
कानूनीय श्रेणी	50						पूर्ण योग	
							237	
							भाग 1/पूर्वाह्न परीक्षा का योग	175
							भाग 2/ परीक्षा का योग	412
							सम्पूर्ण योग अंकों में	900

सम्पूर्ण योग शब्दों में.....

टिप्पणी - 1- स्नातक तथा पराम्नातक परीक्षा में श्रेणी का निर्धारण निम्नवत् है।

- | श्रेणी | स्नातक | पराम्नातक |
|----------------|--------|-----------|
| प्रथम श्रेणी | 60% | 60% |
| द्वितीय श्रेणी | 48% | 48% |
| तृतीय श्रेणी | 33% | 36% |
- बी.ए. तथा बी.एस. के प्रत्येक भाग की परीक्षाओं में अध्ययी को सम्पूर्ण योग का 36% अंक तथा प्रत्येक विषय में 33% इस प्राविधान के साथ प्राप्त करना होगा कि यदि वह प्रत्येक एक विषय, लिखित एवं प्रारंभिक में अलग-अलग में 25% या उससे अधिक अंक प्राप्त करता है तो वह उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। कानूनीय श्रेणी में उत्तीर्ण 17/50 प्रत्येक प्रश्न पत्र में अलग-अलग प्राप्त करने होने परांतक कुल योग में नहीं जोड़े जायेंगे। प्रथम वर्ष की परीक्षा में 36% अंक प्राप्त करना होगा।
 - पराम्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए पूर्ण योग में 36% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। प्रारंभिक विषय होने पर प्रारंभिक विषय में अलग से उत्तीर्ण करना होगा।
 - विश्वविद्यालय के शारणीयन परिषद में अधिक अंक और अंकतालिका के अंकों में यदि कोई अंतर है तो उस दशा में विश्वविद्यालय शारणीयन परिषद में अधिक अंकांक ही अधिक रूप से मान्य होंगे।
 - स्नातक एवं पराम्नातक स्तर पर प्रथम व द्वितीय श्रेणी के लिए एक अंक का उस कुल योग में श्रेणी सुधार के लिए दिया जाएगा और परीक्षा फल के अंतर्गत में (GDI) लिखा जाएगा।

कानपुर विश्वविद्यालय
कानपुर
दिनांक 23/10 1991
E. & OE

लेखक के पूर्ण हस्ताक्षर

नायक के हस्ताक्षर

(S. P. GUPTA)
उप-सहायक/अनुक्रमांक विभाग
कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर